न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 340 / 2017 निर्णय दिनांक :– 07/11/19

उनवानी दावा :

1.मदन पुत्र भूरा कोम दमामी निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0

2.लालू उर्फ लालाराम पुत्र भूरा कोम दमामी निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0

3.सूरजकंवर पुत्री स्व0 जगदीश कोम दमामी निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण –

बनाम

1.तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली
अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1818 रकबा 1.70 है0 किस्म जाव व चाही व खसरा नम्बर 1792 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतों के आस पास सिवायचक भूमि है। प्रार्थीगण की खातेदारी खेत में आने जाने का रास्ता तालाब की पाल पर 20–25 फीट बने हुए रास्ते होकर खसरा नम्बर1786, 1790 डाबरकलां मे सिवायचक भूमि की सीमा से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1818 में तथा खसरा नम्बर 1792 में स्थित गै0मु0 चाह पर आते है तथा कृषि मे काम आने वाले कृषि सयन्त्र ट्रेक्टर, ट्रोली, कृषि उपज इत्यदि ले जाकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। शीट में रास्ते का अंकन नही होने के कारण अन्य व्यक्ति सिवायचक भूमि मे स्थित रास्ते के अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण के खेत में जाने का एक मात्र रास्ता पाल के निचे से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1786 व 1790 सीमा में से होकर है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को जमीन खसरा नम्बर 1818 में काश्त करने के लिए फसल काटकर ले जाने के लिए ट्रेक्टर, ट्रोली, द्वारा इसी रास्ते से होकन आना जाना पडता है। वर्तमान में उक्त भूमि सिवायचक अंकित है। इस पर किसी भी प्रकार का सरकारी भवन नही है और न ही अन्य संस्थान को आवंटन की गई है। प्रार्थीगण उक्त सिवायवचक भूमि खसरा नम्बर 1786, 1790 सिवायचक भूमि में से 20 फीट चोडा 118 फीट लम्बा जो लगभग 0.02 है0 के बराबर होता मे से अपने खेत खसरा नम्बर 1818 में जाने का

रास्ता चाहते है। प्रार्थीगण सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहने हेतु नियमानुसार डि0एल0सी0 दर से राशि चुकाने को तैयार है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। तहसीलदार देवली द्वारा ग्राम डाबरकलां का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट/जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी के पास खेत पर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी का रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते खसरा नम्बर 1786 की लम्बाई व चौडाई 260 X 4 = 1040 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 1730 की लम्बाई व चौडाई 36 X 4 = 144 वर्ग मीटर कुल 1184 वर्ग मीटर है। रास्ते में प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 4534 प्रति वर्ग मीटर है। आवेदक आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1786 व 1790 में से रास्ता चाहा गया है। जिसको लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते मे बबूल के पेड सिवायचक भूमि पर स्थित है। उक्त भूमि सिवायचक काबिल काश्त है। कुल प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1779 गै0मु0 रास्ता से खसरा नम्बर 1786 में 260 गुना 4 = 1086 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 1790 में 36 गुना 4 = 144 इस प्रकार 1184 प्रतिवर्ग मीटर भूमि रास्ते में काम आयेगी जो 1184 गुना 4534 = 53688/– रू0 होगी। जिसकी दुगूनी प्रतिकर राशि 107376 रू0 बताते है और बबूल की कीमत 2000/ पेड है इस प्रकार 109376/–रू0 है। मौका रिपोर्ट के साथ मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की है।

पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि पूर्व में तहसीलदार देवली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके अनुसार डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 20615/–रूपये मात्र थी जबकि तहसीलदार देवली द्वारा हाल ही दिनांक 18.10.19 द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 107371/–रूपये व बबूलो की कीमत 2000/– कुल 109376/– रूपये बताई गई है जो लगभग 5 गुना ज्यादा है। प्रार्थीगण अत्यन्त ही निर्धन व्यक्ति होने के कारण इतनी राशि जमा करवाने में असमर्थ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि तहसीदार देवली द्वारा पूर्व में पेश की गई डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 20615/–रूपये ही जमा करवाये जिनको प्रार्थीगण जमा करवा सकता है अथवा तहसीलदार देवली द्वारा दर्शाया गया रास्ता सिवाचयक भूमि में से होकर है जिस पर कई प्रभावशाली व्यक्तियो ने अतिक्रमण कर रखा है। तहसीलदार देवली द्वारा अतिक्रमण को हटा दिया जाता है प्रार्थी अपनी आराजी में सुगमता से आ जा सकता है और अपनी आराजी में आसानी से फसल काश्त कर सकता हैं। अतः प्रार्थी को अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। यदि प्रार्थी को रास्ता नही दिया गया/तहसीलदार देवली द्वारा अतिक्रमित भूमि को प्रभावशाली व्यक्तियो के चंगूल से नही छुड़वाया गया तो प्रार्थीगण की आराजी भूमि पड़त रह जाऐगी और प्रार्थीगण को अपने बच्चो के पालन पोषण के भी लाले पड़ जाऐंगे।

नायब तहसीलदार देवली ने पेश की गई रिपोर्ट को ही अपनी बहस बताया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1818 रकबा 1.70 है0 किस्म जाव व चाही व खसरा नम्बर 1792 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि प्रार्थीगण अत्यन्त गरीब व्यक्ति है जो उक्त राशि को जमा नहीं करवा सकते। अतः प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी की दूगनी

प्रतिकर राशि जमा नहीं करने के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाना तहसीलदार के प्रमुख कर्तव्यो में से एक है जिससे आमजन के लिए आने जाने में सुगमता हो सके। अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर सिवायचक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर रिपोर्ट 30 दिवस में पेश करने की सुनिश्चितता करे।

निर्णय खुले न्यायालय को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली